



86

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-770/569

रायपुर, दिनांक 16/03/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर

विषय: — Diversion of 0.117 ha. Forest Land in favour of Singhal Energy Pvt. Ltd. For Laying Pipeline from Gerwani Nala to Plant for Water Supply in Raigarh District in the State of Chhattisgarh - reg.

- संदर्भ:—**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/ROCH-06/ 2021/ 390 दिनांक 26.11.2021
 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक./ 618 दिनांक 04.03.2022

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा गेरवानी नाला से तराईमाल स्थित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे. वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु पानी ले जाने के लिए पाईप लाईन निर्माण के लिए रकबा 0.117 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्रेषित किया है, बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

S.No	Condition	Compliance
(i)	Legal status of the forest land shall remain unchanged;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-1)।
(ii)	Compensatory afforestation	
(a)	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department will carryout 10 times Forest tree species plantation behalf of 43 trees with 10 years maintenance at the cost of the user agency.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-2)।
(iii)	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	संस्थान द्वारा विदोहित किये जाने वाले 43 वृक्षों के बदले में दस गुना कुल 430 पौधों का दस वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वन विभाग द्वारा तैयार की गई जिसकी कुल राशि 3,33,939.00 (तीन लाख तैतीस हजार नौ सौ उनचालीस) ई-चालान के माध्यम से Chhattisgarh CAMPA Account No. 150646435105348 of Union Bank of India, Lodhi Complex, Branch New Delhi में RTGS क्र. SBINR12022021867916655

S.No	Condition	Compliance
		दि. 18.02.2022 से आवेदक संस्थान के द्वारा जमा किया गया है (संलग्नक-3)।
(iv)	NPV:	
(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.117 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) में आंकलित राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 आदेशानुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5-3/ एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवहृत की जाने वाली रकबा 0.117 हे. में सघन वन रकबा 0.117 हे. भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वैल्यू क्लास प्स सघन वन अनुसार 803000 प्रति हे. अनुसार राशि रुपये 93951.00 (तिरानबे हजार नौ सौ इक्यावन रुपये मात्र) चालान जनरेट कर Ad-hoc CAMPA [ktrs esa BINR12022021867916655 दि. 18.02.2022 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है (संलग्नक-3)।
(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है, तो संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। इस आशय का संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-4)।
(v)	User agency will defray the cost of felling of 43 trees and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department. However, only the required and minimum number of trees will be felled.	आवेदित क्षेत्र में आने वाले कुल 43 वृक्षों के विदोहन की राशि 6548.00 वनमण्डलाधिकारी के पी.डी. खाते में दिनांक 18.02.2022 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है (संलग्नक-5)।
(vi)	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration demarcation of safety zone, shall be transferred/ deposited to Ad-hoc CAMPA fund only through e-portal.;	आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 3,33,939.00, NPV की राशि रु. 93951.00 एवं Avifauna की राशि रुपये 5,00,000.00 ई-पोर्टल के माध्यम से Ad-hoc CAMPA खाते में संस्थान द्वारा जमा कर दिया गया है (संलग्नक-3)।
(vii)	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the	आवेदक संस्थान के द्वारा पक्षी संवर्धन योजना में व्यय होने वाले राशि रुपये 5.00 लाख ई-चालान के माध्यम से Ad-hoc CAMPA खाते में जमा कर दिया गया है (संलग्नक-3)।

S.No	Condition	Compliance
	area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	
(viii)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रारूप (Form-1) कलेक्टर रायगढ़ द्वारा प्रदान की गई है (संलग्नक-6)।
(ix)	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipe line the ground will be leveled.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-7)।
(x)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
(xi)	No labour camp shall be established on the forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-8)।
(xii)	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-9)।
(xiii)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	आवेदित क्षेत्र को आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु प्राकलित राशि अनुसार रु. 3,00,043.00 (तीन लाख त्रैतालिस रु.) मात्र वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ के पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
(xiv)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-10)।
(xv)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-11)।
(xvi)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-12)।
(xvii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-13)।
(xviii)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-14)।

S.No	Condition	Compliance
	(Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 42/2017-FC dt 29/01/2018;	
(xix)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-15)।
(xx)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है एवं तदाशय का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-16)।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
02 प्रति में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 16/03/2022

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-770/570

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, रायपुर। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े 43 वृक्षों के विदोहन हेतु तैयार वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 26.11.2021 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।
- वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी.डी. खाते से आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
4. प्रबंधक सिंगल इंटरप्राइजेस प्रा. लि. ग्राम तराईमाल पोस्ट गेरवानी, जिला रायगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
01/03/2022 छत्तीसगढ़